प्रेस नोट–जनपद मुजफ्फरनगर

दिनांक– 28.04.2025

- **थाना खालापार पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त अवैध कारतूस सहित गिरफ्तार–**

  दिनांक 27.04.2025 को थाना खालापार पर नियुक्त उ0नि0 श्री गनेश कुमार शर्मा मय हमराहीगण द्वारा अभियुक्त संदीप उर्फ नीटू पुत्र सतपाल निवासी दक्षिणी कृष्णापुरी थाना खालापार को दक्षिणी खालापार में खाली पडे प्लाट के पास नदी की तरफ से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर, 02 खोखा कारतूस 315 बोर व 01 कारतूस रखने की बेल्ट बरामद की गयी। अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खालापार पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 76/2025 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

- **थाना खतौली पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–**

  दिनांक 28.04.2025 को थाना खतौली पर नियुक्त उ0नि0 श्री विक्रान्त कुमार मय हमराहीगण द्वारा मु0अ0सं0 155/2025 धारा 3/5क/8 सीएस एक्ट व 11घ पशु क्रुरता अधिनियम में वांछित अभियुक्त महताब पुत्र अब्बास निवासी ग्राम शेरनगर थाना नई मण्डी मुजफ्फरनगर को गंग नहर पटरी बर्फ खाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया।

- **थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा लूट के अभियोग का सफल अनावरण करते हुए दौराने पुलिस मुठभेड़ 02 शातिर लूटेरे अभियुक्तगण को किया घायल/गिरफ्तार–**

  दिनांक 27.04.2025 को प्रभारी निरीक्षक श्री उमेश रोरिया थाना कोतवाली नगर मय हमराहीगण द्वारा मु0अ0सं0 131/2025 धारा 309(4) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्तगण 1. विशाल पुत्र ईशम सिंह व 2. विशेष पुत्र धर्मपाल निवासीगण ग्राम आखलौर थाना कोतवाली नगर, मुजफ्फरनगर को दौराने पुलिस मुठभेड़ बड़कली फाटक के पास से घायल/गिरफ्तार किया गया। घायल/गिरफ्तार अभियुक्तगण के कब्जे से लूटे गये दो लाख रूपये(शत–प्रतिशत बरामदगी), घटना में प्रयुक्त 01 स्पलैण्डर मोटर साईकिल बिना नम्बर प्लेट व 02 तमंचे मय 02 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस 315 बोर बरामद किये गये। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी एंव बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 136/2025 धारा 317(5),109 बीएनएस व 3/5(1)/25/28 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

- **<u>थाना भौराकलां पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार</u>–**

  दिनांक 28.04.2025 को थाना भौराकलां पर नियुक्त उ0नि0 श्री पकंज शर्मा मय हमराहीगण द्वारा वाद संख्या 616/09/2015 मु0अ0सं0 147/2014 धारा 60 आबकारी अधिनियम में वारण्टी अभियुक्त आजाद पुत्र दरियाब सिंह निवासी ग्राम सदरूद्दीन नगर थाना भौराकलां, मुजफ्फरनगर को अभियुक्त के मस्कन से गिरफ्तार किया गया।